



राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्रांक - न.नि. 50-21/2025 2357  
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)  
सचिव  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-जिला पदाधिकारी, सिवान।

पटना, दिनांक - 30.05.25

विषय : मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक 1522 दिनांक 29.05.25


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 9185 दिनांक 22.05.2025 के आलोक में स्थानान्तरित अनुमंडल पदाधिकारी श्री आशुतोष गुप्ता को अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान का प्रभार देने एवं उनके द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के दायित्व का निर्वहन किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

आपके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत मैरवा के मुख्य पार्षद के रिक्त पद के निर्वाचन हेतु श्री सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, तथा उनके द्वारा ही दिनांक 28.05.2025 को निर्वाचन की अधिसूचना प्रपत्र 11 में प्रकाशित कि गई है। श्री आशुतोष गुप्ता सामान्य प्रशासन विभाग की उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक 29.05.2025 को प्रभार ग्रहण करने हेतु आये हुए है।

विदित हो कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 की अधिसूचना दिनांक 24.05.2025 को की गई तथा दिनांक 28.05.2025 को प्रपत्र 11 की प्रकाशन के साथ नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गया है। अतएव निदेशानुसार प्रपत्र 11 के प्रकाशन के बाद निर्वाचन प्रक्रिया के मध्य में बिना अपरिहार्य कारण के निर्वाची पदाधिकारी को बदलना संभव नहीं है।

विश्वासभाजन,

  
सचिव